

अंचल अधिकारी 2011/16/12 का कार्यालय
अभिलेख वाद संख्या- 392 (J) 16/12

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11.7.16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 2522/1, थाना- 36, खाता संख्या- 22, प्लॉट संख्या-
रकबा- 1.20, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 01, के पृष्ठ संख्या- 62, पर जमाबंदी रैयत दुसुआ, गोंग के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी विना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19.7/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

19.7.16

ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಹಂತ